

stage पर लंबित हैं, जो न्यायसंगत नहीं हैं। आज ही साक्ष्यवादी पेश हो। वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, साक्ष्य stage बंद की जाती है। पत्रावली वास्तु अंतिम बहस दिनांक 30/05/24 को पेश हो।

Prinika

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

30/05/24 पत्रावली पेश। अग्रि. वादी उप। एकपक्षीय बहस सुनी गई। वास्तु आदेश पत्रावली दिनांक 11/06/24 को पेश हो।

Prinika

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

11/06/24 पत्रावली पेश। बहस पर मेनन किया गया। मुताबिक बहस अग्रि. वादी - " गाँव विरडाबास ख. सं. 220, 221, 222, 223, 224, 225 (19 बीघा 10 बिस्वा) भूमि वादीगण एवं उनके परिवार की संयुक्त स्वातंत्र्य भूमि है। ख. सं. 225, 223, 222 में प्रति. का कोई हक नहीं है। किंतु प्रति. ख. सं. 223, 225 में बिना अधिकारिता दीवार निकाल रहे हैं। अतः प्रति. को जरिद स्पार्ड निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें।" उपरोक्त बहस, तथा, दस्तावेजों के आचार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रति. सं. 01 ता 03 को "पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की स्वातंत्र्य भूमि में अवैध निर्माण कार्य ना करें।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फंसल सुमायुक्त दारिजल- दफ्तर हो।

Prinika

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

